

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 मई 2023-वैशाख 21, शक 1945

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2023

क्र. एफ-एम-आई.एन.-2-0001-2023-एम.आर.डी.-बारह.-खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला जबलपुर के 92.876 वर्ग किमी क्षेत्र को मैग्नीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में मैग्नीज के पूर्वेक्षण कार्य के लिए अधिसूचित करती है. क्षेत्र के ब्यौरे तथा शर्तें नीचे दिये गए सारणी अनुसार हैं अर्थात्:-

सारणी

उप-खण्ड क

क	79° 50' 47.084"	23° 29' 23.296"
ख	79° 54' 20.548"	23° 29' 27.367"
ग	79° 54' 25.412"	23° 27' 30.53"
घ	79° 50' 48.639"	23° 27' 26.818"

उप-खण्ड ख

क	80° 5' 25.75"	23° 29' 29.834"
ख	80° 8' 7.835"	23° 29' 30.742"
ग	80° 8' 43.67"	23° 28' 37.425"
घ	80° 9' 57.283"	23° 29' 14.521"
ड.	80° 9' 58.152"	23° 26' 56.5"
च	80° 5' 26.582"	23° 26' 54.176"

उप-खण्ड ग

क	79° 58' 34.451"	23° 23' 20.582"
ख	80° 4' 11.912"	23° 23' 22.975"
ग	80° 4' 57.345"	23° 22' 28.086"
घ	80° 1' 59.168"	23° 21' 13.564"
ङ.	79° 58' 35.279"	23° 20' 59.012"
च	79° 58' 35.047"	23° 21' 38.605"
छ	79° 58' 40.201"	23° 21' 38.587"
ज	79° 58' 40.201"	23° 21' 50.813"
झ	79° 58' 34.976"	23° 21' 50.812"

1. मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश को अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वक्षण कार्य प्रारंभ करने की सूचना प्रदान करेगा।
2. पूर्वक्षण कार्य की अवधि मध्यप्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् और विस्तार के अध्याधीन रहते हुए 01 वर्ष 16 माह तक रहेगी।
3. मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, खान (खनिज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार पूर्वक्षण संक्रियाएँ संपादित करेगा तथा निर्धारित समयावधि में विस्तृत पूर्वक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
4. पूर्वक्षण कार्य करने के पश्चात् यदि अधिसूचित क्षेत्र में आवेदित खनिज या नवीन खनिज के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड त्रिपक्षीय सहमति पत्र अनुबंध दिनांक 27.10.2016 के अधीन उल्लेखित शर्तों का पालन करेगा।
5. मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड भूमि स्वामियों से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर पूर्वक्षण कार्य करेगा।
6. यदि वन भूमि में पूर्वक्षण कार्य किया जाएगा, तो वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र / अनुमति प्राप्त की जाएगी।
7. प्रतिबंधित क्षेत्र में पूर्वक्षण कार्य नहीं किया जाएगा।
8. वैधानिक रूप से स्वीकृत अथवा आवेदित खनिज रियायत क्षेत्रों पर इस अधिसूचना का प्रभाव नहीं होगा।
9. यदि पूर्वक्षण क्षेत्र में अन्य शासकीय विभागों जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एटॉमिक मिनेरल डिवीजन आदि द्वारा कार्य किया जाना हो, तो मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड उनके कार्यों को प्रभावित नहीं करेगा।
10. संबंधित जिला कलक्टर / वन मण्डलाधिकारी / खनिज अधिकारी एवं अन्य शासकीय अधिकारियों को ऐसे कार्य हेतु सम्यक् सहयोग प्रदान किया जाएगा।
11. कार्य प्रारंभ किये जाने की सूचना जिला कलक्टर को प्रदान की जाएगी।
12. यदि नियमों का किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो अधिसूचना को रद्द किया जा सकेगा।

No. F-MIN/2/0001/2023-MRD-12.- In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 67 of the Minerals (Other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, the State Government, hereby, notifies the area of 92.876 Sq. km. of District Jabalpur in favor of Manganese Ore (India) Limited for prospecting work of Manganese. Details of area and conditions are given below in the table, namely:-

TABLE

Sub Block A

a	79° 50' 47.084"	23° 29' 23.296"
b	79° 54' 20.548"	23° 29' 27.367"
c	79° 54' 25.412"	23° 27' 30.53"
d	79° 50' 48.639"	23° 27' 26.818"

Sub Block B

a	80° 5' 25.75"	23° 29' 29.834"
b	80° 8' 7.835"	23° 29' 30.742"
c	80° 8' 43.67"	23° 28' 37.425"
d	80° 9' 57.283"	23° 29' 14.521"
e	80° 9' 58.152"	23° 26' 56.5"
f	80° 5' 26.582"	23° 26' 54.176"

Sub Block C

a	79° 58' 34.451"	23° 23' 20.582"
b	80° 4' 11.912"	23° 23' 22.975"
c	80° 4' 57.345"	23° 22' 28.086"
d	80° 1' 59.168"	23° 21' 13.564"
e	79° 58' 35.279"	23° 20' 59.012"
f	79° 58' 35.047"	23° 21' 38.605"
g	79° 58' 40.201"	23° 21' 38.587"
h	79° 58' 40.201"	23° 21' 50.813"
i	79° 58' 34.976"	23° 21' 50.812"

1. Manganese Ore (India) Limited shall intimate to Director Geology & Mining Madhya Pradesh for commencement of prospecting work in the notified area.
2. The period of prospecting work shall remain 1 year 6 Months subject to further extension after approval of Government of Madhya Pradesh, Mineral Resource Department.
3. Manganese Ore (India) Limited shall undertake prospecting operations in accordance with provisions of the Mines (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 and shall submit detailed prospecting report within stipulated framework of time.

4. After prospecting work, if the applied mineral or new minerals existence is proved in notified area, then the Manganese Ore (India) Limited shall comply with the conditions mentioned under tripartite Memo of Understanding Agreement dated 27.10.2016.
5. Manganese Ore (India) Limited shall work with necessary permissions obtain from the land owners.
6. If the prospecting work shall be carried out in the forest land, No Objection Certificate / Permission shall be obtained from forest department.
7. Prospecting work shall not be carried out in the restricted areas.
8. This notification shall not affect, legally granted or applied mineral concession areas.
9. If other government departments like Geological Survey of India or Atomic Mineral Division etc, intends to work in the prospecting area, Manganese Ore (India) Limited shall not affect their work.
10. Duly Cooperation shall be provided by concerning district Collector / Divisional Forest Officer / Mining officer or any other government officer for such work .
11. Information of the commencement of the work shall be provided to District Collector.
12. This notification can be revoked, if any violations of the rules are found in the carrying out the prospecting work.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव रंजन मीना, उपसचिव.